कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक– 2733 / 14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 31/3/2017.

सेवा में,

डिविजनल प्रबन्ध (यू0पी0–सी)
एस्सार आयल लिमिटेड 315, 316, टीसी/जी–2/2
एवं टीसी/जी–5/5 तृतीय तल
साइबर हाइट्स विभूति खण्ड गोमती नगर
लखनऊ।

विषयः– जनपद बाराबंकी में एस्सार आयल लिमिटेड ए–5, सेन्टर–3 नोयडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम– दादरा, तहसील– नवाबगंज, जनपद–बाराबंकी के गाटा संख्या– 909 रकबा– 0.409 हे0 एन0 एच0–28 लखनऊ–फैजाबाद मार्ग पर किमी0 40.00–41.00 के मध्य वायी पटरी पर स्थित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.167175 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 6 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) अलीगंज लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक– 8बी/यू0पी0/06/04/2017/एफ0सी0/560 दिनांक 21–03–2017 तथा मुख्य वन संरक्षक संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक– 1519/11–सी /एफ0पी0/यू0पी/अन्य/12699/2015 दिनांक 19–01–2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/04/2017/एफ0सी0/560 दिनांक 21–03–2017 द्वारा जनपद बाराबंकी में एस्सार आयल लि0 ए–5, सेन्टर–3 नोयडा द्वारा प्रस्तावित ग्राम– दादरा, तहसील– नवाबगंज, जनपद–बाराबंकी के गाटा संख्या– 909 रकबा– 0.409 हे0 एन0 एच0–28 लखनऊ–फैजाबाद मार्ग पर किमी0 40.00–41.00 के मध्य वायी पटरी पर स्थित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.167175 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 6 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है इसके क्रम में उक्त सभी निधियॉ, भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि तथा प्रभागवित वन भूमि 0.167175 हे0 संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए) अलग–अलग ई–पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14–10–2015 के बाद से लागू प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तमन मंत्रालय के सम्बन्धित वेवसाइट www.forestsclearnce.nic.in में चालान के माध्यम से ई–पोर्टल के चालान द्वारा जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की स्लिप के साथ सभी विन्दुओं पर अपनी अनुपालन आख्या सहित सूचना निम्न विन्दुओं पर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का एन0आई0सी0 के माध्यम से प्राप्त ई–पेमेन्ट कारपोरेशन बैंक लोधी काम्प्लेक्स ब्रांच ग्राउण्ड फ्लोर ब्लाक नं0–11 सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स फेस नं0–1 लोदी रोड नई दिल्ली में जमा करके चालान की छायाप्रति संहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, 100 वृक्षों के वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन आख्या सभी विन्दुओं पर अलग–अलग अवश्य प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी।

1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षो के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि **रू0 38600/– (रू0 अड़तिस हजार छः सौ मात्र)** (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित कैम्पा नई दिल्ली के कारपोरेशन बैंक लोधी काम्प्लेक्स ब्रांच ग्राउण्ड फ्लोर ब्लाक नं0–11 सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स फेस नं0–1 लोदी रोड नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

2क– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि **रू0 104652/– (रू0 एक चार हजार छः सौ बावन मात्र)** (कैम्पा) कारपोरेशन बैंक लोधी काम्प्लेक्स ब्रांच ग्राउण्ड फ्लोर ब्लाक नं0–11 सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स फेस नं0–1 लोदी रोड नई दिल्ली जमा की जायेगी।

ख– इसके उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, 100 वृक्षों के वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

ग– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का **बचन बद्धता प्रमाण पत्र** (समक्ष स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा की जायेगी।

3– विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांन्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के (**forward**) एवं पीछे (**backward**) उनकी दिशा (**bearing**) भी लिखनी होगी।

4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (733.60 वर्म मीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर किया जायेगा।

5– राज्य सरकार वनाधिकारी अधिनियम प्रमाण पत्र की **Original Hard copy** उपलबध करवायेगी तथा वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र को सभी संलग्नकों के साथ पैरा– " **K** " **part-I Online** पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करेगी।

6– प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र **II /FC/ROC/95-11/part-V/1227** दिनांक 02 फरवरी 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी तब तक भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते हैं।

(जावेद अख्तर) 31-3-17.
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

संख्या / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न हो जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

त्रिभुवन/–